उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही तथ लघुहस्ताक्षर जज रामूराम बनाम 164/2005 पृष्ठ 88.184	1/4
(प्रकाश) 06.2.14	अपीलगण एवं प्रतिवादी प्रभात द्वारा पेश वाली में पत्रावली बहस उपरान्त वास्ते आदेश/निर्णय की जाकर हुई पत्रावली के वाद का विवेचन एवं निर्णय निम्न प्रकार है -	
	वादी रामूराम पुत्र दानाराम जाट निवासी रेलमगरा की ओर से प्रभात पुत्र दानाराम जाट निवासी रेलमगरा वाद दायर किया कि वादी व प्रतिवादी के पिता दानाराम पुत्र नीलकाम के नाम पर खातेदारी रिकार्ड पर तहसील बिजयनगर के गांव रेलमगरा के खसरा नं. 3482 रकबा 0.70 है में वादी 1/2 व प्रतिवादी 1/2 हिस्सा पर पिता दानाराम पुत्र नीलकाम के नाम है पर काबिज काश्त है।	
	खसरा नं. 1380 (0.07 है), 3449 (0.24 है), 3450 (0.95 है) 3471 (0.80 है), 3472 (0.34 है) 3483 (0.51 है), 3485 (1.19 है) के पिताके नाम दर्ज 1/2 हिस्से में है वादी 1/4 - 1/4 आदि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उनके पिता 4.9.96 को फौत हो चुके है उनके पिता के वादी रामूराम, प्रतिवादी 1 प्रभात (Prabhat) प्रतिवादी 2 सावर व मधाराम पुत्र मंगाने थी।	
	इनमें से मधाराम अपनी बुआ के गोद गया था जिसकी पत्नी महाकौरी थी। मधाराम की कोंगी पर सावरकोनाराम (फूफा) के गोद	

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर

Scanned by CamScanner

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2/4

उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

..... बनाम .....

..... वर्ष .....

हुक्म या कार्यवाही यथ लघुहस्ताक्षर जज	रुक्का व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

लिया गया था एवं अधिवक्ता की पत्नी महावीरी देवी आज भी चूड़ा पहनाया गया था।

गवाह गण के बयानों की अतिरिक्त दिए। अपने दिनांक की गवाह से गवाहान्वय प्रमाणों का प्रयास किया गया इस बारे बादी/प्रतिवादी गए हैं। अतः वाद बीमा के बादी एवं प्रतिवादी के 1 को इनकुमा अनुसार जोतदार घोषित करे एवं रकबा 3482/0.70 है, 1380/0.078 है, 3443/0.24 है, 3457/0.95 है, 3471/0.81 है, 3472/0.34 है, 3483/0.51 है, 3485/1.19 है में किसी भी प्रकार का दखलन करने बाबत प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाते। दिनांक 28.9.05 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी थी।

दिनांक 13.3.18 को प्रतिवादी द्वारा एकतरफा कार्यवाही निरस्त करने के साथ-साथ आपसी राजीनामा पेश किया था।

31.1.19 बाद के श्री मु. 1/1, ना 1/1 को रिहाई पर लेवा गया व प्रतिवादी द्वारा 13.3.18 को पेश

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही तथ लघुहस्ताक्षर जज

रामूराम v/s जमारा 164/2015 28.12.18 Regd.

राजीनामा अनुसार वाद 15 दी दर्ज रजिस्टर किया। इस मामले में जमानती. फरार। जमानती द्वारा शपथ पत्र पर ग्राम रघोनाथपुरा पु.सं. 912 तहसील उदयपुर वाटी की जमाबंदी फरद दाखिल किया गया। पा.सं. 3, जा.सं. 52 वेरवी.

उपरोक्त वाद पत्र, राजीनामा एवं प्रस्तुत फरदजात अनुसार जोराराम पुत्र भीकाराम जात बिश्नोई रघोनाथपुरा के वादी रामूराम, प्रतिवादीगण 1 फरार व प्रतिवादी सं. 2 हाजिर व कब्जुल फधाराम होना पाया है।

फधाराम के अपने चुका। फूफा के गोद जाना फधाराम की मृत्यु पश्चात उसकी पत्नी महाकौरी का, उसके भाई हाजिर की मूका सोना के गोद आने पर चूड़ा पहनना पाया होता है। इसकी पुश्तैनी जमाबंदी ग्राम रघोनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी व पटवार-3 व जा.सं. 52 मतदाता सूची ग्राम रघोनाथपुरा में सेरु पुत्र राजाराम दर्ज होते है। गोद पुत्री का पिता की मूल में विरासती हक बनता नहीं होने से जोराराम के विधिक वारिसान वादी रामूराम व प्रतिवादीगण 1 फरार पाये जाते है।

उपरोक्त कुमार वादी का वाद पत्र, हिन्दू विधि एवं उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार वैध

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) उदयपुर (राजस्थान)

	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

4/4

राजीनामा के प्रकरण 164/2005 धारा 88, 109, RTE

वादी/वादीगण एवं प्रतिवादी/गण हाजिर पाये जाने के

वादी/वादीगण एवं प्रतिवादी/गण की सहमति अनुसार स्वीकार

किया जाता है एवं ग्राम रतनपुरा के ख.नं. 3482/0.70 हे. में

वादी/वादीगण के 1/2 व प्रतिवादी/गण के 1/2 हिस्सा तथा

ख.नं. 1380/0.07 हे., 3449/0.24 हे. (आबादी), 3450/0.95 हे., 3471/0.80 हे.,

3472/0.34 हे., 3483/0.51 हे., 3485/1.19 हे. में वादी/वादीगण

के 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी/गण के 1/4 हिस्सा के

जानदाद मौरूसी घोषित किया जाता है। शेष

प्रतिवादीगण के बाबत कब्जा मौरूसी में बाधा उत्पन्न

नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद

किया जाता है। तदनुसार डिक्री पत्र जारी होकर

पालनार्थ तहसील तहसीलदार श्रीमाधोपुर को भेजी

दी जावे।

पक्षावली का लघुभाग होने बाद तहसील

दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 06.2.19

को लेख जाकर सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर

Scanned by CamScanner